न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर जयपुर

गोपाल / श्यामीलाल

केस 83/2021

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	16-5-24	पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी महोदय [illegible] /मीटिंग पर [illegible] है। अतः [illegible] 28-5-24 [illegible] हो।
	28-5-2024	पत्रावली प्रस्तुत। वादी व वादी के अधिवक्ता अनुपस्थित। तहसीलदार से कुर्रेजात रिपोर्ट वर्ष 2022 से प्राप्त हो चुकी है परन्तु वादी ने आज दिनांक तक कुर्रेजात रिपोर्ट पर बहस नहीं की है। बहस हेतु अनेक अवसर दिये गये परन्तु वादी ने बहस नहीं की। फलस्वरूप पूर्व आदेशिका में कुर्रेजात पर गुणावगुण के आदेश हेतु लिखा गया था। अतः पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर वाद डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय डिक्री पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर आमेर प्र. जयपुर

Signature Not V
Digitally signed by N
Date: 2024.09.09 12
Reason: SelfAtteste

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : मिथलेश मीणा
आर.ए.एस.

वाद संख्या 83 / 2021 निर्णय दिनांक **28.05.2024**

गोपाल पुत्र लिछमन जाति अहीर निवासी ग्राम प्रतापपुरा कलां तहसील आमेर जिला जयपुर।

................वादी

बनाम

1. ग्यारसीलाल पुत्र हरदेव
2. बनवारी पुत्र सांवरा
3. माला पुत्र हरदेव
4. लालूराम पुत्र हरदेव
5. सुभाष पुत्र सांवरा

   समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम प्रतापपुरा कलां तहसील आमेर जिला जयपुर।
6. कैनरा बैंक शाखा जैतपुरा तहसील चौमू जिला जयपुर रिये शाखा प्रबंधक।
7. कॉर्पोरेशन बैंक शाखा जालसू तहसील आमेर जिला जयपुर जरिये शाखा प्रबंधक।
8. भारतीय स्टेट बैंक शाखा भैसावा जिला जयपुर जरिये शाखा प्रबंधक।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।
10. उप पंजीयक जालसू उप तहसील जालसू तहसील आमेर जिला जयपुर।

...............प्रतिवादीगण

दावा अंतर्गत धारा 53,188 राज0 काश्त0 अधि0
बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति :– **(1) श्री रोशन लाल शर्मा – अधिवक्ता वादी की ओर से**
(2) श्री रामसिंह यादव – अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से

दिनांक 28.05.2024

हस्तगत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वाके ग्राम प्रतापपुरा कलां, पटवार क्षेत्र जयसिंपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जयसिंहपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर में स्थित आराजी कृषि भूमि खसरा नंबर 26 रकबा 0.87 हैक्टेयर, खसरा नंबर 27 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा [illegible] 275 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नंबर 276 रकबा 0.29 हैक्टेयर, खसरा [illegible] 277 [illegible] 0.38 हैक्टेयर, खसरा नंबर 28 रकबा 0.07 हैक्टयर, [illegible] 0.06 हैक्टेयर, खसरा नंबर 30 रकबा 0.46 हैक्टेयर, खसरा नंबर 32 रकबा 0.87 हैक्टेयर, खसरा नंबर 33 रकबा 1.16 हैक्टेयर कुल किता 10 कुल रकबा 4.46 है[illegible]र भूमि में वादी का हिस्सा 1 / 3 एवं खसरा नंबर 521 रकबा 0.49 हैक्टेयर, खसरा नंबर 535 रकबा 0.47 हैक्टेयर, खसरा नंबर 546 रकबा 0.53 हैक्टेयर, खसरा नंबर 547 रकबा 0.52 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 2.0100 हैक्टेयर में वादी का हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2024.09.09 12:43:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

1/3 निहित है, राजस्व अभिलेख जमाबंदी अनुसार शेष हिस्सा प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज एवं अंकित चला आ रहा है। उपरोक्त वर्णित खाते की उपरोक्त वर्णित रकबा भूमि में अपने हिस्से की भूमि पर रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार की हैसियत से निरंतर काबिज काश्त चला आ रहा है और अपने हिस्से अनुसार राजस्व लगान अदा करता आ रहा है। वाद अधीन भूमि का विधिक विभाजन नहीं हुआ है इसलिए वादी एवं प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से उक्त वर्णित रकबा भूमि पर निरंतर काबिज चले आ रहे हैं।

वाद अधीन कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज एवं अंकित चली आ रही है इसलिए वादी ने समय–समय पर प्रतिवादीगण का वाद अधीन कृषि भूमि का कब्जे काश्त के मध्य नजर बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विधिक विभाजन करवाने हेतु कहा। पूर्व में तो प्रतिवादीगण कब्जे काश्त के मध्य नजर बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विधिक विभाजन करवाने हेतु हामी भरतें रहें, परंतु प्रतिवादीगण के मन में बेईमानी आ गई है। हाल ही में वादी द्वारा भूमि के विभाजन के लिए प्रतिवादीगण से वार्तालाप की तो उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया, एवं भूमि के विभाजन हेतु इंकार कर दिया, और प्रतिवादीगण वाद अधीन कृषि भूमि का विधिक विभाजन करवाये बिना ही वादग्रस्त आराजी पर बाहुबल के आधार पर निर्माण कार्य कर वादग्रस्त आराजी को विक्रय हस्तान्तरण, खुर्द–बुर्द करने हेतु उतारू हो गये। जबकि विधि अनुसार जब तक संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि का विधिक विभाजन नहीं हो जाता है तब तक संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि का विक्रय–हस्तान्तरण, निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता है क्योंकि विधि अनुसार संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि के प्रत्येक इंच भाग पर सह–हिस्सेदार काश्तकार का विधिक कब्जा एवं विधिक रिकॉर्डेड खातेदारी अधिकार निहित होते हैं। बिनायदावा अंतिम रूप से दिनांक 20.09.2021 को तब पैदा हुआ जब प्रतिवादीगण ने बिना विधिक विभाजन करवाये ही वादी को वाद अधीन भूमि से बाहुबल के आधार पर कब्जा करके कृषि से अकृषि में उपयोग करने तथा विशेष भू–भाग को विक्रय–हस्तान्तरण करके खुर्द–बुर्द करने की एलानियां धमकी दी, जो निरंतर जारी है। दावा बाबत् विधिक विभाजन का होने से राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर लैण्ड होल्डर होने के कारण आवश्यक पक्षकार है इसलिए प्रतिवादीगण 9 के रूप में पक्षकार बनाया गया है, तथा प्रतिवादीगण वाद अधीन भूमि को बिना विधिक [illegible] विशेष भू–भाग को विक्रय–हस्तान्तरण करने पर उतारू है इसलिए उनके [illegible] निष्पादित किसी भी लेख पत्र को तस्दीक करने से निषि[illegible] उप पंजीयक जालसू उप तहसील जालसू तहसील आमेर को प्रतिवादीगण संख्या 10 [illegible] रूप में पक्षकार बनाया गया है, तथा प्रतिवादी संख्या 6 लगायत 8 के भूमि रह[illegible] होने से वाद में पक्षकार बनाया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh
Date: 2024.09.09 12:43:07
Reason: SelfAttested

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 की ओर से जवाब दावा पेश नहीं कर सीधे प्राथमिक डिक्री जारी

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

करने हेतु निवेदन किया। तथा वाद वादी कब्जे–काश्त को ध्यान में रखते हुए मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर दिनांक 15.12.2021 को प्राथमिक डिक्री किया गया। तहसीलदार आमेर को कुर्रेजात प्रस्ताव बनाकर भिजवाने हेतु आदेशित किया गया।

तहसीलदार आमेर तहसील आमेर से कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रकरण में वर्ष 2022 में कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त होने पर उभयपक्षों द्वारा ना तो कोई आपत्ति कुर्रेजात पेश की ना ही बहस की। बहस व आपत्ति पेश करने हेतू अनेक अवसर दिये गये। लम्बे समय से उभयपक्ष द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर बहस नही करने पर गणावगुण हेतु लिखा गया परन्तु बहस नहीं की गई अतः गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण तकासमें का है कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है तथा कोई आपत्ति पेश नहीं की गई है। अतः तहसीलदार आमेर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर वादपत्र को निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है:–

1. गोपाल पुत्र लिछमन कौम अहीर सा. देह खातेदार राहिन कॉर्पोरेशन बैंक शाखा जालसू मुर्तहीन के हिस्से खसरा नंबर 30/1 रकबा 0.33 हैक्टेयर, खसरा नंबर 32/1 रकबा 0.8252 हैक्टेयर, खसरा नंबर 33/1 रकबा 0.2674 हैक्टेयर, खसरा नंबर 521/1 रकबा 0.30 हैक्टेयर, खसरा नंबर 547/1 रकबा 0.37 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 2.0926 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में गुलाबी रंग में दर्शाया गया है।

2. ग्यारसी लाल, लालूराम हि. 1/2 राहिन केनरा बैंक शाखा जैतपुरा माला पुत्र हरदेव हि. 1/4 राहिन एस.बी.आई. शाखा भैंसावा (ख.न. 521/2, 535, 546, 547/2 बिना रहन) बनवारी पुत्र सांवरा हि. 1/8 राहिन कैनरा बैंक शाखा जैतपुरा सुभाष पुत्र सांवरा हि. 1/8 कौम अहीर सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 26/2 रकबा 0.8204 हैक्टेयर, खसरा नंबर 28 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नंबर 29 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नंबर 30/3 रकबा 0.1072 हैक्टेयर, खसरा नंबर 33/3 रकबा 0.8776 हैक्टेयर, खसरा नंबर 275 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नंबर 276 रकबा 0.29 हैक्टेयर, खसरा नंबर 277 रकबा 0.38 हैक्टेयर, खसरा नंबर 521/2 रकबा 0.19 हैक्टेयर, खसरा नंबर 535 रकबा 0.47 हैक्टेयर, खसरा नंबर 546 रकबा 0.53 हैक्टेयर, खसरा नंबर 547/2 रकबा 0.15 हैक्टेयर कुल किता 12 कुल रकबा 4.1852 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में हरे [illegible]

3. ग्यारसी लाल, लालूराम पि. हरदेव हि. 1/3 राहिन कैनरा बैंक [illegible] गोपाल पुत्र लिछमन हि. 1/3 राहिन कॉर्पोरेशन [illegible] पुत्र हरदेव हि. 1/6 राहिन एस.बी.आई शाखा [illegible] हि. 1/12 राहिन कैनरा बैंक शाखा जैतपुरा सुभाष पुत्र सांवरा हि. [illegible]12 कौम अहीर सा. देह खातेदार के हिस्से 26/1 रकबा 0.0496 हैक्टेयर, खसरा नंबर 27 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नंबर 30/2 रकबा 0.0228 हैक्टेयर, खसरा नंबर 32/2 रकबा 0.0448 हैक्टेयर, खसरा नंबर 33/2 रकबा 0.0150

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2024.09.09 12:43:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
आमेर मु. जयपुर

प्रकरण संख्या – 83 / 2021
बउनवानी – गोपाल बनाम ग्यारसीलाल वगै0
निर्णय दिनांक :– 28.05.2024

हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 0.1922 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में बैंगनी रंग से दर्शाया गया है।

अतः वादी का वाद मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाता है। उभयपक्ष मुताबिक निर्णय अनुसार एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे। अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2024.09.09 12:43:07 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ऑ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर आमेर, मु0 जयपुर

पीठासीन अधिकारी **मिथलेश मीणा (आर.ए.एस)**

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

वाद संख्या 83 / 2021 निर्णय दिनांक **28.05.2024**

गोपाल पुत्र लिछमन जाति अहीर निवासी ग्राम प्रतापपुरा कलां तहसील आमेर जिला जयपुर।

..............वादी

बनाम

1. ग्यारसीलाल पुत्र हरदेव
2. बनवारी पुत्र सांवरा
3. माला पुत्र हरदेव
4. लालूराम पुत्र हरदेव
5. सुभाष पुत्र सांवरा
   समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम प्रतापपुरा कलां तहसील आमेर जिला जयपुर।
6. कैनरा बैंक शाखा जैतपुरा तहसील चौमू जिला जयपुर रिये शाखा प्रबंधक।
7. कॉर्पोरेशन बैंक शाखा जालसू तहसील आमेर जिला जयपुर जरिये शाखा प्रबंधक।
8. भारतीय स्टेट बैंक शाखा भैसावा जिला जयपुर जरिये शाखा प्रबंधक।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।
10. उप पंजीयक जालसू उप तहसील जालसू तहसील आमेर जिला जयपुर।

...............प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अंतर्गत धारा– 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 28.05.2024

मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट वादपत्र को निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है:–

1. गोपाल पुत्र लिछमन कौम अहीर सा. देह खातेदार राहिन कॉर्पोरेशन बैंक शाखा जालसू मुर्तहीन के हिस्से खसरा नंबर 30 / 1 रकबा 0.33 हैक्टेयर, खसरा नंबर 32 / 1 रकबा 0.8252 हैक्टेयर, खसरा नंबर 33 / 1 रकबा 0.2674 हैक्टेयर, खसरा नंबर 521 / 1 रकबा 0.30 हैक्टेयर, खसरा नंबर 547 / 1 रकबा 0.37 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 2.0926 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में गुलाबी रंग में दर्शाया गया है।

2. ग्यारसी लाल, लालूराम हि. 1 / 2 राहिन केनरा [illegible] हरदेव हि. 1 / 4 राहिन एस.बी.आई. शाखा भै[illegible]5, 546, 547 / 2 बिना रहन) बनवारी पुत्र सांवरा हि. 1 / 8 राहिन कैनरा [illegible]क शाखा खसरा नंबर 276 रकबा 0.29 हैक्टेयर, खसरा नंबर 277 रकबा 0.38 हैक्टेयर, कुल किता 12 कुल रकबा 4.1852 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में हरे रंग से दर्शाया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mithlesh Meena
Date: 2024.09.09 12:43:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

दा.91 (11.0.22)

प्रकरण संख्या – 83 / 2021
बउनवानी – गोपाल बनाम ग्यारसीलाल वगै0
निर्णय दिनांक :– 28.05.2024

3. ग्यारसी लाल, लालूराम पि. हरदेव हि. 1/3 राहिन कैनरा बैंक शाखा जैतपुरा गोपाल पुत्र लिछमन हि. 1/3 राहिन कॉर्पोरेशन बैंक शाखा जालसू काला पुत्र हरदेव हि. 1/6 राहिन एस.बी.आई शाखा भैंसावा बनवारी पुत्र सांवरा हि. 1/12 राहिन कैनरा बैंक शाखा जैतपुरा सुभाष पुत्र सांवरा हि. 1/12 कौम अहीर सा. देह खातेदार के हिस्से 26/1 रकबा 0.0496 हैक्टेयर, खसरा नंबर 27 रकबा 0.06 हैक्टेयर, खसरा नंबर 30/2 रकबा 0.0228 हैक्टेयर, खसरा नंबर 32/2 रकबा 0.0448 हैक्टेयर, खसरा नंबर 33/2 रकबा 0.0150 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 0.1922 हैक्टेयर भूमि रहेगी। जिसे संलग्न नक्शे में बैंगनी रंग से दर्शाया गया है।

उभयपक्ष मुताबिक निर्णय अनुसार एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 28.05.2024 को जारी किया ।

दस्तखत ---

ओहदा ---

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

मुददई	रूपये	पैसे	मुददायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा			बबत् इजराय हुक्मानामा		
मुतफरित	4 रूपये		मुतफरित	4 रूपये	
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Mithlesh
Date: 2024.09.09 12:43:07 I
Reason: SelfAttested